न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-298RAAJodhpur2022-179RTA225 Smt. Gawarai ors Vs Babulal etc

01. श्रीमती गवराई पत्नी जोराराम
02. पोकरराम पुत्र जोराराम
03. हीराराम पुत्र जोराराम
सभी जातियान् मेघवाल, निवासी- भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुरं

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बाबुलाल पुत्र श्री लाबूराम जाति सीरवी, निवासी- भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 14 जून 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 07/2020 बाबुलाल बनाम गवराई इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 07/2020 बाबुलाल बनाम गवराई इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट-प्रार्थी संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश कर अपने खेत खसरा नं. 657 में आवागमन हेतु अप्रार्थी अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 661 में सें रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी/अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जून 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। कमिश्नर द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस या सूचना दिये बिना एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के हितो को प्रभावित करने वाली कोई मौका रिपोर्ट उसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना तैयार नहीं की जा सकती है। अतः मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 31.10.2020 विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नं. 662 रकबा 1.0274 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाडी है, उक्त नाडी में पानी भरा रहता है। नाडी की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है। धारा-16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत गैर मुमकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाडी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। गैर मुमकिन नाडी में से कभी भी रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को नजरअंदाज कर गैर मुमकिन नाडी में से रास्ता कायम करने का आलौच्य आदेश पारित करने में विधिक भूल की गयी है, जो केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 31.10.2020 का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार नहीं किया है। गैर मुमकिन नाडी की भूमि में रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नं. 662 गैर मुमकिन नाडी की भूमि को रास्ते में उपयोग व उपभोग में देने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जून 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु उक्त अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपने जवाब एवं अपील स्तर पर रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग के बारे में नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथ्यों के गहन विवेचन के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधि सम्मत आदेश पारित किया है अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 657 में आवागमन हेतु खसरा नं. 661 की दक्षिणी माठ से रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को एकमात्र लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है तथा मौके पर चालू अवस्था में बताया गया है तथा उक्त रास्ता मार्क सी.डी.ई.एफ. को खसरा नं. 662 गैर मुमकिन नाड़ी में मौके पर चालू बताया गया है। खसरा नं. 662 किस्म गैर मुमकिन नाडी की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से तथा मौके पर रास्ता चालू अवस्था में होने से केवल अपीलांट्स के खातेदारी खसरे में से ही रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है, जिससे अपीलांट्स का यह उज्र समाप्त हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में सें रास्ता दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता होने का उज्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब एवं अपील में नहीं उठाया गया है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.07.2022 में भी स्वीकार किया कि वे रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु प्रदत रास्ता खसरा नं. 661 में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता होने तथा रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जून 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर